Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में ग्राम विकास अधिकारी एवं ई–मित्र संचालक (प्राईवेट व्यक्ति) 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *24 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **शंकर लाल मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनुपरा, पं.स. सेड़वा, जिला बाड़मेर एवं दलाल सुभान खान ई–मित्र संचालक निवासी कुन्दनपुरा, सेड़वा, जिला बाड़मेर (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से **12 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मनरेगा कार्यों में श्रमिकों की उपस्थिति भरकर श्रम राशि पारित करने की एवज में शंकर लाल मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनुपरा, पं.स. सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा **12 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी की बाड़मेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री किशन सिंह चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण शंकर लाल मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनुपरा, पं.स. सेड़वा, जिला बाड़मेर एवं दलाल सुभान खान ई–मित्र संचालक निवासी कुन्दनपुरा, सेड़वा, जिला बाड़मेर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **12 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**